न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
43 / 2021	दावा 177 RTA	30.03.2022	24.07.2025

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

—वादी—

बनाम

1. लक्ष्मी देवी उर्फ मोहरीदेवी पत्नि नोरतमल जाति—जाट नि.चूरू
2. सावित्री पुत्री नोरतमल जाति— जाट नि.चूरू
3. उप पंजीयक चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955

महोदय,
वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा निम्नानुसार पेश है—

1. यह कि रोही ग्राम रामसरा के खेत खसरा नं. 1281 / 849 कुल तादादी 0.7588 है एवं 1285 / 849 तादादी 0.1686 है किस्म बारानी कृषि भूमि जो राजस्व अभिलेख के अनुसार उपरोक्त अप्रार्थि सं. 01 से 2 के नाम से खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है।
2. यह कि वाद की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 को राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्राकर की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गई है, जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यो या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के अध्यधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपभोग में लिया जा सकता है।
3. यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 से 2 द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारो के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि पर अकृषि प्रयोजन भूमि की प्रकृति बदल दी है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
4. यह कि वाद कि मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 2 ने बिना अधिकार के शर्तो का उल्लघंन करते हुए उक्त ख.सं. 1281 / 849 एवं ख.नं. 1285 / 849 की भूमि पर समतलीकरण करके आवासीय प्लोटिंग का कार्य करते हुऐ भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है। कृषि भूमि को हानिप्रद कार्य कर क्षति पहुंचाई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के कब्जे मे उक्त भूमि को छोड़ा जाना उचित नही है। क्यों कि खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 से 2 कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने के फलस्वरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार बेदखली योग्य जो गये है।
5. यह कि प्रतिवादी संख्या 01. से 2 के द्वारा मद संख्या 03 व 04 में वर्णितानुसार कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनकी खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य हो गई है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 2 उक्त भूमि से बे[illegible] बेदखली होने के फलस्वरूप खातेदारी अधिकारो के अवसान किये जाने योग्य [illegible]। जिसके लिए माननीय न्यायालय को आर.टी.एक्ट. की धारा 177 [illegible] प्राप्त है।
6. यह कि वादी की ओर से प्रतिवादी[illegible] हल्का के माध्यम से वादगत भूमि को अकृषि उपयोग में न लेने हेतु बार—बार कहा गया, मगर प्रतिवादीगण [illegible]ने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:44 IST
Reason: SelfAttested

आखिर दिनांक 25.03.2022 को प्रतिवादीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये। अतः इसी दिनांक को वादी को भूमिधारी होने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हेतुक (Cause of Action) प्राप्त हुआ है।

7. यह कि अदालतवाला को यह वाद सुनवाई के अधिकार प्राप्त है तथा दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है चुंकि राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है।
8. अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम कस्बा चूरू के खेत खसरा नं. 1281/849 तादादी 0.7588 है एवं 1285/849 तादादी 0.1686 किस्म बारानी कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 से 2 से हटायी जाकर राजकीय सिवयचक भूमि घाषित की जावे।
9. प्रतिवादी संख्या 01 से 2 को विवादित भूनि से बेदखल करने का आदेश जारी किया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवंम श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया तथा जरिए रजिस्टर्ड डाक तलब किया गया परन्तु इनकी ओर से न्यायालय मे कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कि गई तथा तहसीलदार चूरू से वर्तमान मोका स्थिती रिपोर्ट मांगी गई जिसपर पटवारी कस्बा चूरू की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई की रोही कस्बा चूरू के खसरा नं. 231 व 3073/928 कि मोका रिपोर्ट निम्नानुसार है।

यह कि राजस्व रिकॉर्ड रोही ग्राम रामसरा के ख.सं. 1281/849 तादादी 0.7588 है किस्म बारानी ख.स. 1285/849 तादादी 0.1686 है किस्म बारानी शेरसिंह बाजिया पुत्र जगराम बाजिया हिस्सा 2529/9274 जाति जाट नि.चूरू सदाम हुसैन पुत्र अब्दुल हमीद मोयल हिस्सा 6745/9274 जाति कायमखानी नि. चूरू खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त दोनो खसरो की भूमि समतलीकरण कर सड़क बिछाकर कृषि से अकृषि कार्य में ली जा रही है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेरोकार राज की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन एवम पैरोकार राज की बहस पर मनन करने से निम्न तथ्य परिलक्षित होते है कि

वादी राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2 के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है कि उन्होंने खातेदारी कृषि भूमि, खसरा संख्या 1281/849 (क्षेत्रफल 0.7588 हेक्टेयर) एवं 1285/849 (क्षेत्रफल 0.1686 हेक्टेयर), जो किस्म बारानी है, को बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजन में प्रयोग किया, जैसे कि दृ समतलीकरण, प्लॉटिंग, सड़क निर्माण आदि। वाद प्रस्तुत किए जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक --- पर वादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश (Stay Order) पारित किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से भूमि पर किसी भी प्रकार का अकृषि कार्य अथवा स्वरूप परिवर्तन निषिद्ध किया गया था। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार न्यायालय के स्थगन आदेश का उल्लंघन पटवारी हल्का चूरू द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत मौके की रिपोर्ट से यह तथ्य उजागर हुआ कि: "वाद प्रस्तुत होने के उपरांत एवं स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अकृषि कार्य यथावत जारी रखा गया है। खसरा संख्या 1281/849 एवं 1285/849 पर समतलीकरण किया गया है, सड़कें बनाई गई हैं तथा प्लॉटिंग कार्य भी हो रहा है। यह भूमि कृषि से हटकर आवासीय प्रयोजन हेतु प्रयोग में ली जा रही है।"यह आचरण स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेश की अवमानना (Contempt of Court) है तथा खातेदारों के विरुद्ध भूमि से बेदखली एवं खातेदारी अधिकारों के अवसान का स्पष्ट आधार है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] के अनुसार यदि कोई खातेदार बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन में उप[illegible] है, तो वह बेदखली योग्य है तथा उसका खातेदारी अधिकार समाप्त किय[illegible] यदि न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश का उल्लंघन किय[illegible] का उल्लंघन है बल्कि न्यायालयीन प्रक्रिया की अवमानना भी है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट से यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:44 IST
Reason: SelfAttested

सिद्ध होता है कि प्रतिवादीगण ने भूमि की कृषि प्रकृति को बदला। प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की विधिवत सूचना थी, फिर भी उन्होंने आदेश की अवहेलना करते हुए अकृषि कार्य जारी रखे। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही किसी प्रकार की स्पष्टीकरण/आपत्ति प्रस्तुत की, जिससे उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कि गई। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किए जाने योग्य है

निर्णय

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 177 व सपठित 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम रामसरा के खेत खसरा नं. 1281/849 कुल तादादी 0.7588 है एवं 1285/849 तादादी 0.1686 है खातेदारो के नाम से खातेदारी निरस्त की जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को उक्त वादगत कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने व उक्त भूमि को खाता सं. 1 में दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरू इसी अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू
ब इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

–वादी–

बनाम

1. लक्ष्मी देवी उर्फ मोहरीदेवी पत्नि नोरतमल जाति–जाट नि.चूरू
2. सावित्री पुत्री नोरतमल जाति– जाट नि.चूरू
3. उप पंजीयक चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955
मुकदमा नं. 43 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी पैरोकार राज वादी, मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी अन्तर्गत धारा 177 व सपठित 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम रामसरा के खेत खसरा नं. 1281/849 कुल तादादी 0.7588 है एवं 1285/849 तादादी 0.1686 है खातेदारो के नाम से खातेदारी निरस्त की जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को उक्त वादगत कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने व उक्त भूमि को खाता सं. 1 में दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरू इसी अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24 माह जूलाई सन् 2025 को जारी की गई।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:44 IST
Reason: SelfAttested